



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

e-mail : pccf-development@gov.in

- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : ०१ / यो०ब०-११/२०२०- ७४

दिनांक : -०५/२/२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण कार्य के लिए कुल रु० 362.043 लाख (तीन करोड़ बासठ लाख चार हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/यो०ब०-२५/२०२०-२६/स्वी० व०प० दिनांक-२७.०१.२०२१ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो० बजट-२५/२०२०-४०/आ० व०प० दिनांक-२९.०१.२०२१।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- 102-समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-५९-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 362.043 लाख (तीन करोड़ बासठ लाख चार हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	281.488
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	80.555
कुल :-		362.043

२. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१ पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-२ एवं स्थल विवरणी अनुलग्नक-३ पर तथा ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-४ पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601102590103 तथा 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिह्नित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैट्रन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका— VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना

के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान

मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2341 दिनांक-04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापति प्रभाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जिन वन प्रमंडलों के स्थलों में जी0पी0एस0 कॉ-ऑर्डिनेट्स अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थलों का जी0पी0एस0 कॉ-ऑर्डिनेट्स उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-11/2020- 78 दिनांक- 4/2/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगार, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/गिरिडीह/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-11/2020- 78 दिनांक- 04/2/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/ गिरिडीह/ सिमडेगा/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठो में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			59012.10	16888.00	75900.10
i	ii	iii	iv	v	vi
1	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	155.00	91.469	26.176	117.645
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	100.00	59.012	16.888	75.900
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	40.00	23.605	6.755	30.360
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	182.00	107.402	30.736	138.138
योग :-		477.00	281.488	80.555	362.043

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0

योजना का नाम- अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 x 2 मी0)

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 295.80							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3.00	887.40	0.00	887.40	
2	सामान्य ज्ञाड़ी	हे0	7.00	2070.60	0.00	2070.60	
3	ट्रैच धेरान - ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	4 चेन प्रति हे0	100	29580.00	0.00	29580.00	यदि पर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी है तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्राप्तान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मरीन का कदम प्रयोग न हो।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे0 (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	33.00	9761.40	0.00	9761.40	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% आतिरिक्त के साथ)	हे0	16.50	4880.70	0.00	4880.70	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा धेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	2240.00	2240.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण—गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंट्रू आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे0	40	11832.00	0.00	11832.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य			0.00	14498.00	14498.00	
योग :-			199.50	59012.10	16888.00	75900.10	
(B) वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 340 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हे0	21.50	7310.00	0.00	7310.00	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	12410.00	0.00	12410.00	
3	दो कोडनी एवं निकौनी	हे0	41.50	14110.00	0.00	14110.00	
4	ट्रैच के वर्म पर धेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	680.00	0.00	680.00	
5	पौधों की सुरक्षा	हे0	9.16	3114.40	0.00	3114.40	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			110.66	37624.40	2515.00	40139.40	
(C) वित्तीय वर्ष 2022-23 में सपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 391 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए							
1	एक कोडनी एवं निकौनी	हे0	23.00	8993.00	0.00	8993.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा	हे0	12.16	4754.56	0.00	4754.56	
4	गड्ढा धेरान की मरम्मत	हे0	4.00	1564.00	0.00	1564.00	
5	मृत पौधों का प्रतिरक्षण	हे0	3.00	1173.00	290.00	1463.00	
योग :-			42.16	16484.56	2182.40	18666.96	

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(D)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 450 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	₹०	23.00	10350.00	0.00	10350.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा	₹०	12.16	5472.00	0.00	5472.00	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	₹०	3.00	1350.00	290.00	1640.00	
	योग :-		38.16	17172.00	1590.00	18762.00	
(E)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 517 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी-निकौनी	₹०	23.00	11891.00	0.00	11891.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (60 हेठो तक)	₹०	12.16	6286.72	0.00	6286.72	
4	घेरान की मरम्मत	₹०	4.00	2068.00	0.00	2068.00	
	योग :-		39.16	20245.72	500.00	20745.72	
(F)	वित्तीय वर्ष 2025–26 में संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 595 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2024–25 को आधार मानते हुए						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हेठो तक)	₹०	12.16	7235.20	0.00	7235.20	
	योग :-		12.16	7235.20	0.00	7235.20	
(G)	वित्तीय वर्ष 2026–27 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 684 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2025–26 को आधार मानते हुए						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हेठो तक)	₹०	12.16	8317.44	0.00	8317.44	
	योग :-		12.16	8317.44	0.00	8317.44	
	सकल योग :-		453.96	166091.42	23675.40	189766.82	



 अपर्याप्ति भ्रष्टान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

।

વિત્તીય વર્ષ 2020–21 થે 2026–27 તક કાયાનિત કી જાને વાલી “અધિસૂચિત વનમૂળી કે બાહર વૃક્ષારોપણ યોજના” (અન્ય વ્યાય) કે અંતર્ગત ગૈર–વનમૂળી પર વૃક્ષારોપણ કાર્ય કા સ્થળ વિવરણી

ક્રમાંક સંખ્યા	વન પ્રમંડળ કા નામ	વન પ્રક્ષેત્ર કા નામ	પ્રખ્યાણ કા નામ	સ્થળ કા નામ	આના / આના સંખ્યા	જીઓપીઓસ્ટો કો–ઓલિનેટ	પ્લોટ નંબર	દ્યેશ્રોફલ (હેઠળ મે)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
1	ગિરિડીહ પણિયાંથી વન પ્રમંડળ, ગિરિડીહ	જમુઆ વનરોપણ પ્રક્ષેત્ર	નગાડી	બિરની-175	N24°14'22.15" E86°6'30.33"	65, 215, 488, 512, 541, 535, 547, 581, 668, 670, 773, 775, 854, 916, 1022, 1080	100	
						યોગ:-	100	
						743, 744, 754, 755, 756, 865, 879, 899, 1, 4, 8, 39, 2, 1231, 112, 103, 128, 118, 122, 281, 338, 346, 385, 402, 428, 336, 483, 511, 512, 515, 517, 552, 573, 661, 764, 791, 800, 801, 968, 979, 803, 815, 921, 938, 984, 987, 951, 960, 986, 1027, 1030, 1211, 1222, 1233, 1254, 1260, 1274, 1336, 1288, 1306, 1321, 1335, 1354, 1391, 1377, 1661, 1830, 1862, 1866, 1845, 764/1916, 764/1914	55	
						18, 841, 839, 491, 558, 7, 13, 15, 16, 23, 36, 151, 28, 83, 282, 421, 224, 284, 285, 288, 311, 381, 215, 387, 390, 471, 4178, 479, 829, 830, 831, 840, 127, 276, 918, 888, 659, 461, 823, 824, 323, 843, 212, 917, 919, 920, 268, 322, 495	50	
						10, 11, 1173, 1190, 12, 1265, 1269, 1279, 1282, 1353, 1401, 1404, 1425, 1434, 1523, 1553, 1629, 17, 1738, 1923, 1960, 1965, 1974, 1978, 1998, 2000, 2072, 2415, 273, 2766, 294, 295, 311, 312, 3228, 3231, 3238, 3239, 3243, 3247, 3388, 3534, 3696, 3834, 399, 4061, 4120, 4309, 4310, 443, 4450, 4604, 4609, 496, 504, 510, 511, 5115, 5281/5989, 5547, 5574, 5595, 5622, 57, 5702, 5757, 5791, 5792/5590, 5811, 5829, 5872, 5901, 591, 592, 594, 597, 70, 745, 747, 972	50	
2	ધનબાદ વન પ્રમંડળ, ધનબાદ	શહી વાનિકી પ્રક્ષેત્ર, ધનબાદ	નિરસા	બઢાજોર	249	સિજુઆ	28	યોગ:-

क्र० सं	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं	जी०पी०एस० को-ऑफिसेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल, (हेक्टेएर में)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
	साठवाठप्रक्षेत्र, जामताडा	जामताडा	भालसुन्दा	भालसुन्दा-11		1411, 1409, 1657, 1785, 1721, 1656		32
	साठवाठप्रक्षेत्र, जामताडा	जामताडा	निलदाहा	निलदाहा	9		3170	45
	साठवाठप्रक्षेत्र, जामताडा	जामताडा	केलाही	जेरोपहाड़ी	12		5288	25
	साठवाठप्रक्षेत्र, जामताडा	करमाटांड	जगन्नाथपुर	जगन्नाथपुर	84		800, 834, 863	15
	साठवाठप्रक्षेत्र, जामताडा	फतेहपुर	पोखरिया	पोखरिया	20		157	
	साठवाठप्रक्षेत्र, जामताडा	आराई	दिगलग्राम	दिगलग्राम	27		228, 240, 626	35
			पहरुडीह	पहरुडीह	35		89, 24, 1111	
			आराई	आराई	36		484, 243	
							योग:-	182
	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	साठवाठप्रक्षेत्र, कुरडेगा	बोलबा	समसेय	बोलबा-67	N22°25'40" E84°21'36"	3265, 3303	40
							योग:-	40
							सकल योग:-	477


 अपर प्रधान मुख्य वन संसाक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

7



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू दितीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दराएँ गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-11/2020/78

दिनांक -

04-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	75045	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	9,146,900.00 रुपये इनकानवे लाख छयालीस हजार नौ सौ
2	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	75047	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	5,901,200.00 रुपये उनसठ लाख एक हजार दो सौ
योग:				15,048,100.00


योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ पचास लाख अडतालीस हजार एक सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं लयन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	75049	SDGAI002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	2,360,500.00 रुपये तेहस लाख साहन हजार पौंछ स्त्री
4	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	75052	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	10,740,200.00 रुपये एक करोड सात लाख चार्लीस हजार दो स्त्री
5	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	75072	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,617,600.00 रुपये छहवीस लाख स त्र ह हजार स्त्री
योग: 15,718,300.00				
क्रमिक योग: 30,766,400.00				
 (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601102590323	75076	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,688,800.00 रुपये सोलह लाख अठयासौ हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
7	S 19 240601102590323	75079	SDGAI002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	675,500.00 रुपये छ: लाख पचाहत्तर हजार पाँच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601102590323	75081	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	2,163,200.00 रुपये इक्कीस लाख तीरहसठ हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
योग:				4,527,500.00
क्रमिक योग:				35,293,900.00
(NAND KISHORE SINGH)				
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND				

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर बृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	75083	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	910,400.00 रुपये तीन करोड बासठ लाख चार हजार तीन सौ



State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)
Central Scheme : NA

योगः

910,400.00

क्रमिक योगः

36,204,300.00

रुपये तीन करोड बासठ लाख चार हजार तीन सौ

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF, DEV.JHARKHAND